न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0:–09/2008

लालमणी देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

तारकेश्वर उपाध्याय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
12.01.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 30.10.2023 को दिये गये आवेदन के आदेश हेतु नियत है। वादीगण की ओर से आदेश 01 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 30.10.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा कुछ भूमि निबंधित विक्रय विलेख द्वारा अंतरण की गयी है। जिन्हें वर्तमान वाद में पक्षकार बनाना अति आवश्यक है। जिनके नाम एवं पता आवेदन के अंत में दिये गये है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि सभी को प्रतिवादी सं0–22 ता 42 प्रतिवादी तृतीय पक्ष के रूप में बनाने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01, 05, 11 ता 15 तथा 17 की ओर से दिये गये आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 08.12.2023 को दाखिल किया गया तथा वादीगण का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य बताया गया तथा कहा गया कि वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन में कई क्रेताओं का नाम छोड दिया गया है लेहाजा यह आवेदन अधुरा है। अतः खारिज योग्य है। वादीगण द्वारा पक्षकार बनाने हेतु जो आवेदन दाखिल किया गया है वह सिर्फ वादीगण द्वारा विक्रय की गयी भूमि के क्रेता है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा भी भूमि का विक्रय किया गया है। जिनके क्रेता को वादीगण पक्षकार नही बना रहे है बल्कि वह भी इस वाद के आवश्यक पक्षकार है। जिनका विवरण प्रत्युत्तर पत्र के अंत में दिया गया है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में बहुत सी भूमि ऐसी दी गयी है जो वाद दाखिल करने के पूर्व ही विक्रय की गयी है तथा प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा विक्रय किया गया है। प्रतिवादीगणों के पूर्वजों द्वारा विक्रय की गयी भूमि भी वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में दिया गया है लेहाजा प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा विक्रय की गयी भूमि के क्रेता भी	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0:–09/2008</u>

लालमणी देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

तारकेश्वर उपाध्याय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 12.01.2024	प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। अतः आवेदन खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि से भूमि का विक्रय किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उन व्यक्तियों के नाम एवं पते दिये गये है। जिन्हें वादीगण द्वारा भूमि का विक्रय किया गया है, यह तथ्य वादीगण द्वारा स्वीकृत तथ्य है। प्रतिवादीगणों की ओर से भी अपने प्रत्युत्तर में प्रतिवादीगणों द्वारा भूमि विक्रय करने की बात कही है तथा अपने केताओं की सूची प्रत्युत्तर पत्र के अंत में दी गयी है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी आवश्यक पक्षकारों को सुनकर ही अंतिम रूप से वाद का न्याय निर्णयन किया जाना चाहिए। जिससे वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादग्रस्त भूमि को खरीदने वाले केतागण वाद के आवश्यक पक्षकार होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 30.10.2023 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रत्युत्तर में दिये गये केताओं की सूची में दिये गये नामों को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया जाता है। आगामी दिनांक 25.01.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	